

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 01 जनवरी, 2019

संख्या 11/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 16/एसटी-2, दिनांक 25 जनवरी, 2018 में आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 16/एसटी-2, दिनांक 25 जनवरी, 2018 में, परन्तुक में, :-

- (i) विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, ‘:’ चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्याजित हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक के लिए, देय तिथि तक **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 के बीच की अवधि के दौरान, उक्त ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर दिए हैं।”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification**

The 1st January, 2019

No.11/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification no.16/ST-2, dated the 25th January, 2018, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification no.16/ST-2, dated the 25th January, 2018, after the proviso, :-

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be added at the end.

“Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months/quarters from July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnish the said details in **FORM GSTR-1** between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.